न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14 / 14 / 2025	2025 /	10.06.2025	30.07.2025

1– नूरमोहम्मद पुत्र हुरमत जाति मेव निवासी ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– आसमोहम्मद पुत्र शेरमोहम्मद,
2– असरफ पुत्र शेरमोहम्मद,
3– अरसद पुत्र शेरमोहम्मद जाति मेवान निवासीगण ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

असल रेस्पोडेन्टान

4– जैन खॉ,
5– दीनमोहम्मद,
6– आजाद,
7– इदरीस,
8– फकरूदीन,
9– रसीद पुत्रान हुरमत जाति मेवान निवासी ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
10–बातूनी पुत्री हुरमत पत्नि ईलयास जाति मेव निवासी ग्राम बिदरका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
11–रहीसन पुत्री हुरमत पत्नि जाकर जाति मेव निवासी ग्राम फिरोजपुर झिरका जिला नूँह मेवात हरि0
12– सहीदन पुत्री हुरमत पत्नी असरफ जाति मेव निवासी बिदरका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
13– रसीदन पुत्री हुरमत पत्नी मामुर जाति मेव निवासी मिलकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर (राज0)

तरतीबी रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर किशनगढबास दिनाक 28.07.2004 जिसके द्वारा आराजी खसरा न0 हाल 28 रकबा 5 बीधा 3 बिस्वा जिसका साबिक आराजी खसरा न0 19 रकबा 5 बीधा 3 बिस्वा वाके ग्राम औदरा तहसील किशनगढबास का पटटा असल रेस्पोडेन्ट संख्या 4 तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर किशनगढबास ने बिना मौका कब्जा की जॉच किये असल रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगा0 3 के पिता शेरमौहम्मद पुत्र सरजीत निवासी औदरा के हक में सनद संख्या 995 दिनाक 28.07.2004 को जारी की है, को निरस्त कियें जाने बाबत।

उपस्थित–

01. श्री सतीश कुमार शर्मा – वकील अपीलान्ट
02. श्री खुर्शीद अहमद – वकील रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 3

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2004 जिसके द्वारा आराजी खसरा न0 हाल 28 रकबा 5 बीधा 3 बिस्वा जिसका साबिक आराजी खसरा न0 19 रकबा 5 बीधा 3 बिस्वा वाके ग्राम औदरा तहसील किशनगढबास का पटटा संख्या 995 बिना मौका कब्जा की जॉच किये असल रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगा0 3 के पिता शेरमौहम्मद पुत्र सरजीत निवासी

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)

औदरा के हक में जारी किया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि विवादित आराजी दर्ज पटटा संख्या 995 खसरा न0 हाल 28 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा जिसका साबिक खसरा न0 19 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा तथा हाल खसरा न0 121 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा जिसका साबिक खसरा न0 77 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा अर्थात साबिक खसरा न0 19, 77 रकबा 10.00 बीघा वाके ग्राम औदरा तहसील किशनगढबास मूलचन्द व जयनारायण पुत्रान ज्वाला सहाय जाति महाजन निवासी बासकृपाल नगर तहसील किशनगढबास की रहन मुर्तहन की आराजी थी, उपरोक्त मुर्तहनान मूलचन्द व जयनारायण पुत्रान ज्वाला ने अपनी स्वेच्छा से उपरोक्त आराजी का हक मुर्तहनी बैय व हकूक कब्जे काश्त का बेचान मुबलिग 10,000/रूपये में सरजीत, हुरमत पुत्रान महतू जाति मेवान निवासी ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास को सम्भाग के करते हुऐ विधिवत बैयनामा कंमाक 1319 दिनाकं 22.10.1974 को उप पंजियक किशनगढबास में बैयनामा पंजीयन कराकर कब्जा आराजी केतागण को समान भाग में सौप दिया गया। जिस पर बैयनामा दिनाक 22.10.1974 से सरजीत व हुरमत निस्फ निस्फ भाग पर काबिज होकर फसल पैदावार लेते रहे है। चूँकी खरीददार हुरमत पुत्र महतू मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट का कुदरती पिता है, तथा खरीददार सरजीत पुत्र महतू मेव के एक मात्र सन्तान नूरमौहम्मद पुत्र सरजीत था। जो खरीद शुदा आराजी के 1/2 भाग पर काबिज काश्त था, तथा आज भी निस्फ भाग पर काबिज काश्त होकर फसल पैदावार लेते आ रहे है। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान का पिता व असल रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 3 का द्वादा सरजीत आपस में सगे भाई थे, जिन्होने शामलात में ही ग्राम औदरा की 10 बीघा आराजी खरीद की थी। व शामलाती में खर्चा रजिस्ट्री वहन की प्रतिफल राशि 10,000/रूपये भी सम्भाग में अदा कर बैयनामा करवाया तथा हर दो नम्बरान को समान भाग में जोत बहा करके फसल पैदावार लेते रहे। पिता अपीलान्ट हुरमत छोटा था, तथा सरजीत बडा भाई था, पिता अपीलान्ट को कभी रकम की जरूरत नही पडी न ही पिता अपीलान्ट ने अपनी खरीद शुदा के खसरा न0 19 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा के 1/2 भाग का बेचान दिनाक 16.05.1980 को असल रेस्पोडेन्ट के पिता शेरमौहम्मद, अलीमौहम्मद पुत्रान सरजीत को 5000/रूपये में नही किया तथा तथा न ही कभी कोई इकरारनामा दिनाक 16.05.1980 को लिखा न ही 4900/रूपये प्राप्त किये तथा न ही 100/रूपये वक्त रजिस्ट्री प्राप्त करना तैय किया तमाम दस्तावेज फर्जी व बनावटी तैयार कराकर आपस मे मिल्लत व साज बाज होकर पटटा संख्या 995 जारी करवाया गया है, जबकि तथाकथित इकरानामा दिनाक 16.05.1980 मे 100/रूपये बकाया थे तो उसे तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर किशनगढबास ने फुल पैमेन्ट का मानते हुऐ सालिम आराजी का पटटा 995 गलत व निराधार मौका व कब्जा के विपरीत जारी किया है। विवादित आरजी दर्ज पटटा संख्या 995 के 1/2 भाग पर पिता अपीलान्ट स्वयं काबिज रहा जिसके फौत होने पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान काबिज है। आज भी 1/2 भाग पर हम अपीलान्ट का भौतिक कब्जा है। खरीद के आराजी खसरा न0 77 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा जिसका हाल आराजी खसरा न0 121 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम औदरा का बेचान पिता अपीलान्ट हुरमत व सरजीत ने अपने जीवन काल में सम्भाग में विक्रय राशि प्राप्त करके विजय सिंह वगै0 जाटान निवासी जाटका को विक्रय कर दी जिसकी खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 396 सम्वत 2046 में दर्ज व स्वीकार हो चुका है, विवादित आराजी खसरा न0 28 वाके ग्राम औदरा पर पिता अपीलान्ट व असल रेस्पोडेन्ट के पिता शेर मौहम्मद सम्भाग 1/2, 1/2 हिस्सा पर काबिज काश्त रहे है, तथा आज भी है। असल रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगा0 3 के पिता शेरमौहम्मद ने दिनाक 10.03.2004 को एक प्रार्थना पत्र तहत अदालत रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत करते हुऐ अंकित किया है, कि चाचा हुरमत खॉ ने अपने हिस्से की आराजी खसरा न0 हाल 121 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा का बेचान कर दिया है, तथा अब मेरे पिता की खरीदी हुई आराजी हाल खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा है, पिता का स्वर्गवास हो गया है पिता की अकेला वारिस है तथा आराजी पर नियमानुसार गैरखातेदारी की आराजी की सनद प्राप्त करना चाहता हूँ। बयनामा दिनाक 22.10.1974 व एग्रीमेन्ट टू सैल दिनाक 16.05.1980 की प्रति पेश की गयी। जिस पर काश्त जॉच हेतु पटवारी हल्का मांचा को भिजवाया गया, पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट दिनाक 11.03.2004 गलत प्रेषित की, बाद रिपोर्ट पटवारी मांचा के दिनाक 19.04.2004 को उज्रदारी नोटिस भी खाना पूर्ति हेतु जारी करना दिखाया गया तथा दिनाक 26.04.2004 को शपथ पत्र शेर मौहम्मद का शामिल मिसल कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु दिनाक 10.05.2004 को पत्रावली जिला कलक्टर अलवर को प्रेषित की गयी, जिसके आधार पर आवेदक शेरमौहम्मद पुत्र सरजीत से दिनाक 23.07.2004 को कीमत भूमि व ब्याज राशि जमा कोष कराकर उसी रोज

दिनाक 23.07.2004 को पटवारी हल्का मांचा को सनद भरकर पेश करने हेतु आदेश पारित कर दिनाक 28.07.2004 को पटटा संख्या 995 रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने सालिम आराजी का जारी कर दिया। जबकि मौके पर हल्का पटवारी मांचा अथवा गिरदावर कानूगो ने एक बार भी जाकर भौतिक कब्जा की जॉच नही की तमाम कार्यवाहीया बाला–बाला कराकर 4 माह की अवधि में ही सालिम आराजी का पटटा जारी करा लिया जो अपीलान्ट की 1/2 भाग को हडपने की साजिश है, जिसकी कानो–कान भी जानकारी अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान को नही होने दी चॅकि अपीलान्ट असल रेस्पोडेन्टान एक ही परिवार के सदस्य है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनाक 06.05.2025 को गांव में आराजी खसरा न0 28 के बेचान करने का सुरासुराहट होने पर हुई जिस पर अपीलान्ट ने तहत अदालत के कार्यालय में जानकारी करके नकल हेतु आवेदन दिनाक 07.05.2025 को पेश किया गया। जिस पर दिनाक 09.05.2025 को नकल प्राप्त की तो समस्त फर्जकारी की जानकारी मिन अपीलान्ट को हुई है। हुई है। दिनाक 28.07.2004 से जानकारी की दिनाक 06.05.2025 व प्राप्त करने नकुलात तक का समय अपीलान्ट को अपील में कन्डोन फरमाया जावे। इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 28.07.2004 पटटा संख्या 995 वाके ग्राम औदरा तहसील किशनगढबास निरस्त किया जावे। अपने कथन की पुष्टि में माननीय न्यायालय की नजीर पेश की गयी। 2017(4) आर.एल.डब्लू पृष्ठ संख्या 2719–2721

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता शेरमौहम्मद पुत्र सरजीत खान जाति मेव निवासी औदरा तहसील किशनगढबास द्वारा दिनाक 10.03.2004 को तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश कर वाके ग्राम औदरा की आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा की गैर खातेदारी का पटटा जारी किये जाने हेतु पेश किया अंकित है, कि पिता सरजीत एवं चाचा हुरमत ने आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा व आराजी खसरा न0 77 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा खरीदशुदा आराजी है, जिसमें से मेरे चाचा हुरमत खान के द्वारा अपने हिस्से की आराजी खसरा न0 121 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा का बेचान कर दिया गया है, तथा पिता की खरीद शुदा आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा है। पिता का स्वर्गवास हो गया है, तथा पिता का वारिस हूॅ जिसका गैरखातेदारी की सनद जारी की जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनाक 10.03.2004 को पटवारी हल्का मॉचा भेजकर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की जॉच कर जॉच रिपोर्ट/प्रस्तावित आराजी पर कब्जा किसका है, भूमि पर कोई विवाद या स्थगन तो नही है तथा सर्वे प्रपत्र की पूर्ति कर प्रकरण भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। पटवारी हल्का मॉचा द्वारा दिनाक 11.03.2004 को प्रकरण की जॉच कर रिपोर्ट पेश की गयी कि जमाबन्दी संम्वत 2058 के खाता संख्या 250 ग्राम ओदरा के अनुसार आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा किस्म ढहरी प्रथम सरदार राहिन मूलचन्द, जयनारायण पिसरान ज्वालासहाय साभाग महाजन साकिन बास कृपालनगर मुर्तहन दर्ज है। आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा का बेचान दिनाक 22.10.1974 को मूलचन्द व जयनारायण पिसरान ज्वालासहाय महाजन साकिन बास कृपालनगर द्वारा सरजीत हुरमत पिसरान महतू मेव साकिन औदरा को किया गया है। तथा दिनाक 16.05.1980 को हुरमत ने अपने हिस्सा अपने भाई सरजीत को 5000/रूपये में एग्रीमेन्ट टू सेल किया गया है। बैयनामा दिनाक 22.10.1974 में अंकित क्रेतागण सरजीत व हुरमत दौनो ही फौत हो चुके है। मौके पर मृतक सरजीत के पुत्र शेरमौहम्मद उर्फ शेरू मेव साकिन औदरा का कब्जा काश्त है, तथा मौके पर फसल सरसो की शेरमौहम्मद पुत्र सरजीत मेव साकिन औदरा द्वारा काश्त की गयी है। मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है, किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नही है पेश की गयी। दिनाक 19.04.2004 को नोटिस उज्रदारी जये पत्राक 585–87 दिनाक 19.04.2004 जारी किया गया। जारी नोटिस कार्यालय के नोटिस बोर्ड/ग्राम पंचायत मॉचा के नोटिस बोर्ड/ग्राम औदरा के सार्वजनिक चौपाल पर चस्पा किये जाने के आदेश दिये गये। जारी नोटिस संबंधित जगहो पर चस्पा किया जाकर चस्पादर्गी की तामील रिपोर्ट पेश की गयी। दिनाक 26.04.2004 को शेरमौहम्मद द्वारा एक शपथ–पत्र पब्लिक नोटेरी से तस्दीक कराया जाकर पेश किया है, जिस पर पहचानकर्ता के हस्ताक्षर मौजूद है। शपथ–पत्र में अंकित किया गया है, कि आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा का बेचान दिनाक 22.10.1974 को जर्ये रजि0 बैयनामा मूलचन्द व जयनारायण पिसरान ज्वालासहाय महाजन साकिन बास कृपालनगर से सरजीत हुरमत पिसरान महतू मेव साकिन औदरा ने खरीद किया गया था, एवं हुरमत ने बाद खरीद अपना हिस्सा जर्ये इककरनामा दिनाक 16.05.1980 को अपने भाई सरजीत को 5000/रूपये में कर लिया तथा सालिम आराजी पर

कलक्टर
तिजारा (राज०)

सरजीत काबिज रहा। दिनाक 27.04.2004 को फर्द मौका रिपोर्ट पेश की गयी जिसमें उल्लेखित किया गया है, कि मौका निरीक्षण किया गया आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा ग्राम औदरा पर शेरमौहम्मद पुत्र सरजीत का कब्जा होना बताया गया है, जिस पर अन्य ग्रामीणो के हस्ताक्षर मौजुद है। दिनाक 11.05.2004 को प्रकरण वास्ते प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जर्ये पत्राक 631 दिनाक 11.05.2004 जिला कार्यालय को भिजवायी गया, जिला कार्यालय द्वारा जर्ये पत्राक 923 दिनाक 28.06.2004 के द्वारा अन्य प्रकरणो के साथ उक्त प्रकरण में सनद जारी किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। दिनाक 20.07.2004 को तहत अदालत द्वारा अन्य कोई व्यवधान न हो तो कीमत जमा कराने हेतु पटवारी हल्का को पत्र लिखा गया। पटवारी हल्का द्वारा पुन जॉच कर रिपोर्ट पेश की गयी। आराजी की कीमत जर्ये चालान संख्या 142 दिनाक 23.07.2004 को 3219/रूपये एंव चालान संख्या 143 दिनाक 23.07.2004 को 6438/रूपये कुल 9657/रूपये जमा कोष कराये गये। राशि जमा हो जाने के पश्चात जर्ये पत्राक 994 दिनाक 23.07.2004 को पटवारी हल्का को सनद पटटा भरकर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 27.07.2004 को आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा ग्राम औदरा शेरमौहम्मद पुत्र सरजीत खॉ मेव निवासी औदरा तहसील किशनगढबास ने नाम सनद प्रपत्र भरकर पेश किया गया जिस पर तहत अदालत द्वारा सनद क्रमांक 995 दिनाक 28.07.2004 जारी की गयी। तहत अदालत द्वारा प्रकरण में पेश प्रार्थना पत्र की विधिवत जॉच कर विधिक प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाकर रेस्पोडेन्ट के नाम सनद जारी की गयी है, अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनाक 28.07.2004 के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 28.05.2025 को पेश की गयी है, प्रस्तुत अपील करीब 21 वर्ष पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। हम अपील का निस्तारण केवल दफा 5 के आधार पर न करके अपील का निस्तारण गुणणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। विलम्ब के मामलो में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है, अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का कथन है, कि विवादित पटटा संख्या 995 खसरा न0 हाल 28 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा जिसका साबिक खसरा न0 19 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा तथा हाल खसरा न0 121 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा जिसका साबिक खसरा न0 77 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा अर्थात साबिक खसरा न0 19, 77 रकबा 10.00 बीघा वाके ग्राम औदरा तहसील किशनगढबास मूलचन्द व जयनारायण पुत्रान ज्वाला सहाय जाति महाजन निवासी बासकृपाल नगर तहसील किशनगढबास की रहन मुर्तहन की आराजी थी, उपरोक्त मुर्तहनान मूलचन्द व जयनारायण पुत्रान ज्वाला ने अपनी स्वेच्छा से उपरोक्त आराजी का हक मुर्तहनी बैय व हकूक कब्जे काश्त का बेचान मुबलिग 10,000/रूपये में सरजीत, हुरमत पुत्रान महतू जाति मेवान निवासी ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास को सम्भाग के करते हुऐ बैयनामा क्रमांक 1319 दिनाक 22.10.1974 को उप पंजियक किशनगढबास में पंजीयन कराकर कब्जा आराजी क्रेतागण को समान भाग में सौप दिया गया। जिस पर बैयनामा दिनाक 22.10.1974 से सरजीत व हुरमत निस्फ निस्फ भाग पर काबिज होकर फसल पैदावार लेते रहे है। पिता अपीलान्ट ने अपनी खरीद शुदा के खसरा न0 19 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा के 1/2 भाग का बेचान दिनाक 16.05.1980 को असल रेस्पोडेन्ट के पिता शेरमौहम्मद, अलीमौहम्मद पुत्रान सरजीत को 5000/रूपये में नही किया न ही कभी कोई इकरारनामा दिनाक 16.05.1980 को लिखा न ही 4900/रूपये प्राप्त किये न ही 100/रूपये वक्त रजिस्ट्री प्राप्त करना तैय किया गया। दस्तावेज फर्जी व बनावटी तैयार कराकर आपस मे मिल्लत व साज बाज होकर पटटा संख्या 995 जारी करवाया गया है। जबकि तथाकथित इकरानामा दिनाक 16.05.1980 मे 100/रूपये बकाया थे, तो उसे तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर किशनगढबास ने फुल पैमेन्ट का मानते हुऐ सालिम आराजी का पटटा 995 गलत व निराधार मौका व कब्जा के विपरीत जारी किया है। विवादित आरजी दर्ज पटटा संख्या 995 के 1/2 भाग पर पिता अपीलान्ट स्वयं काबिज रहा जिसके फौत होने पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान काबिज है। आज भी 1/2 भाग पर हम अपीलान्ट का भौतिक कब्जा है। रेस्पोडेन्टान का कथन है, कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता शेरमौहम्मद पुत्र सरजीत खान जाति मेव निवासी औदरा तहसील किशनगढबास द्वारा दिनाक 10.03.2004 को तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर वाके ग्राम औदरा की आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा की गैर खातेदारी का पटटा जारी किये जाने हेतु पेश किया गया। जिसमें स्पष्ट उल्लेखित है, कि सरजीत एवं चाचा हुरमत ने आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा व आराजी खसरा न0 77 रकबा 4

ला कलक्टर
थल-तिजारा (राज०)

बीघा 17 बिस्वा खरीदशुदा आराजी है, जिसमें से चाचा हुरमत खान के द्वारा अपने हिस्से की आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा में से अपना हिस्सा का बेचान दिनाक 16.05.1980 को अपने भाई सरजीत को 5000/रूपये में एग्रीमेन्ट टू सेल किया गया है। तथा पिता की खरीद शुदा आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा है। पिता का स्वर्गवास हो गया है, तथा पिता का वारिस हूँ जिसका गैरखातेदारी की सनद जारी की जावे। मौके पर मृतक सरजीत के पुत्र शेरमौहम्मद उर्फ शेरू मेव साकिन औदरा का कब्जा काश्त है, तथा मौके पर फसल सरसो की शेरमौहम्मद पुत्र सरजीत मेव साकिन औदरा द्वारा काश्त की गयी है। जिस पर तहत अदालत द्वारा विधिवत जॉच कर विधिवत निर्णय रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पारित किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता शेरमौहम्मद पुत्र सरजीत खान जाति मेव निवासी औदरा तहसील किशनगढबास द्वारा दिनाक 10.03.2004 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर वाके ग्राम औदरा की आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा की गैर खातेदारी का पटटा जारी किये जाने हेतु पेश किया गया। दिनाक 10.03.2004 को पटवारी हल्का मॉचा भेजकर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की जॉच कर जॉच रिपोर्ट/प्रस्तावित आराजी पर कब्जा किसका है, भूमि पर कोई विवाद या स्थगन तो नही है तथा सर्वे प्रपत्र की पूर्ति कर प्रकरण भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। पटवारी हल्का मॉचा द्वारा दिनाक 11.03.2004 को प्रकरण की जॉच कर रिपोर्ट पेश की गयी कि जमाबन्दी संम्वत 2058 के खाता संख्या 250 ग्राम ओदरा के अनुसार आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा किस्म ढहरी प्रथम सरदार राहिन मूलचन्द, जयनारायण पिसरान ज्वालासहाय साभाग महाजन साकिन बास कृपालनगर मुर्तहन दर्ज है। आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा का बेचान दिनाक 22.10.1974 को मूलचन्द व जयनारायण पिसरान ज्वालासहाय महाजन साकिन बास कृपालनगर द्वारा सरजीत हुरमत पिसरान महतू मेव साकिन औदरा को किया गया है। तथा दिनाक 16.05.1980 को हुरमत ने अपने हिस्सा अपने भाई सरजीत को 5000/रूपये में एग्रीमेन्ट टू सेल किया गया है। बैयनामा दिनाक 22.10.1974 में अंकित क्रेतागण सरजीत व हुरमत दौनो ही फौत हो चुके है। मौके पर मृतक सरजीत के पुत्र शेरमौहम्मद उर्फ शेरू मेव साकिन औदरा का कब्जा काश्त है, तथा मौके पर फसल सरसो की शेरमौहम्मद पुत्र सरजीत मेव साकिन औदरा द्वारा काश्त की गयी है। मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है, किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नही है पेश की गयी। दिनाक 19.04.2004 को नोटिस उज्रदारी जये पत्राक 585–87 दिनाक 19.04.2004 जारी किया गया। जारी नोटिस कार्यालय के नोटिस बोर्ड/ग्राम पंचायत मॉचा के नोटिस बोर्ड/ग्राम औदरा के सार्वजनिक चौपाल पर चस्पा किये जाने के आदेश दिये गये। जारी नोटिस संबंधित जगहो पर चस्पा किया जाकर चस्पादर्गी की तामील रिपोर्ट पेश की गयी। दिनाक 26.04.2004 को शेरमौहम्मद द्वारा एक शपथ–पत्र पब्लिक नोटेरी से तस्दीक कराया जाकर पेश किया है, जिस पर पहचानकर्ता के हस्ताक्षर मौजूद है। शपथ–पत्र में अंकित किया गया है, दिनाक 11.05.2004 को प्रकरण वास्ते प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जर्ये पत्राक 631 दिनाक 11.05.2004 जिला कार्यालय को भिजवायी गया, जिला कार्यालय द्वारा जर्ये पत्राक 923 दिनाक 28.06.2004 के द्वारा अन्य प्रकरणो के साथ उक्त प्रकरण में सनद जारी किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। दिनाक 20.07.2004 को तहत अदालत द्वारा अन्य कोई व्यवधान न हो तो कीमत जमा कराने हेतु पटवारी हल्का को पत्र लिखा गया। पटवारी हल्का द्वारा पुन जॉच कर रिपोर्ट पेश की गयी। आराजी की कीमत जर्ये चालान संख्या 142 दिनाक 23.07.2004 को 3219/रूपये एंव चालान संख्या 143 दिनाक 23.07.2004 को 6438/रूपये कुल 9657/रूपये जमा कोष कराये गये। राशि जमा हो जाने के पश्चात जर्ये पत्राक 994 दिनाक 23.07.2004 को पटवारी हल्का को सनद पटटा भरकर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 27.07.2004 को आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा ग्राम औदरा शेरमौहम्मद पुत्र सरजीत खॉ मेव निवासी औदरा तहसील किशनगढबास ने नाम सनद प्रपत्र भरकर पेश किया गया जिस पर तहत अदालत द्वारा सनद क्रमांक 995 दिनाक 28.07.2004 जारी की गयी। अपीलान्ट का यह कहना गलत है, कि पिता अपीलान्ट ने अपनी खरीद शुदा खसरा न0 19 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा के 1/2 भाग का बेचान दिनाक 16.05.1980 को असल रेस्पोडेन्ट के पिता शेरमौहम्मद, अलीमौहम्मद पुत्रान सरजीत को 5000/रूपये में नही किया तथा आज भी 1/2 भाग पर अपीलान्ट का भौतिक कब्जा है। यदि उक्त बेचान के दस्तावेज फर्जी/बनावटी थे तो विधिक प्रावधानानुसार फर्जी/बनावटी दस्तावेज को निरस्त कराये जाने की कार्यवाही सक्षम अधिकारिता वाले माननीय न्यायालय में कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जो अपीलान्ट द्वारा नही की गयी है, तथा न ही ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर पेश हुआ है, तथा मौके पर भी कब्जा नही है, न ही कोई रिपोर्ट/दस्तावेज पेश किये है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है, कि विवादित आराजी के बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में राजस्व वाद संख्या 219/13.06.2025 राजस्थान

ला कलक्टर
रथल-तिजारा (राज.)

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 धारा उनवान नूरमौहम्मद बनाम आसमौहम्मद वगै विचाराधीन है, तथा राजस्व वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र स्थगन उनवान नूरमौहम्मद बनाम आसमौहम्मद वगै विचाराधीन है जिसमें आराजी खसरा न0 28 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा में से 1/2 भाग वाके ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास पर रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पारित किया हुआ है। जिसकी विगत तारीख पेशी दिनाक 23.07.2025 नियत थी। तहत अदालत द्वारा प्रकरण में विधिवत जॉच कर विधिक प्रावधानानुसार कार्यवाही पूर्ण कर विधित सनद जारी की गयी है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है, तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनाक 28.07.2004 पटटा संख्या 995 आराजी खसरा न0 हाल 28 रकबा 5 बीधा 3 बिस्वा साबिक आराजी खसरा न0 19 रकबा 5 बीधा 3 बिस्वा वाके ग्राम औदरा तहसील किशनगढबास का यथावत रखा जाता है। पारित निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को तहत अदालत के मूल रिकार्ड सहित पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)